बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक –के०नि०स०–27 / प्रा०–70 / 18 3897 (E) दिनांकः– 6/6/18

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना,
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लि०, पटना,
निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना,
नोडल पदाधिकारी, ओ०पी०आर०एम०सी० कोषांग,
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– **विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा से संबंधित उच्च स्तरीय कमेटी के प्रतिवेदन के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा सड़क सुरक्षा के उपायों को प्रभावी करने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु क्रमबद्ध तरीके से योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग से संबंधित कार्यक्रमों को लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक शीर्ष के अंतर्गत चिन्हित किया गया है, जिसकी सूची संलग्न है।

अतएव सड़क सुरक्षा से संबंधित लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

5/6/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– के०नि०स०–27 / प्रा०–70 / 18 3897 (E) दिनांक– 6/6/18

प्रतिलिपिः –माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O

ज्ञापांक– के०नि०स०–27/प्रा०–70/18 3897(E) दिनांक– 6/6/18

प्रतिलिपिः –मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा से संबंधित उच्च स्तरीय कमेटी के प्रतिवेदन का अनुपालन बिन्दु का विवरण निम्नलिखित हैः–

पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित सड़कों के संबंध में कार्य योजना।

पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक योजनाओं का कार्यान्वयन निम्न प्रकार से करने की त्वरित आवश्यकता हैः–

1. **लघु कालिकः–**

i. अब तक राष्ट्रीय उच्च पथों पर स्थित कुल 101 ब्लैक स्पॉट एवं स्टेट हाइवे तथा मुख्य जिला पथों पर कुल 23 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं। सभी पथ निर्माण एजेंसी से अपेक्षा हैं कि ब्लैक स्पॉट के निर्धारण एवं निराकरण हेतु समय–सीमा निर्धारित करते हुए शीघ्र कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

ii. सभी पथों पर Road sign and markings, Speed limit प्रदर्श, आवश्यकतानुसार Speed Breaker, Pavement markings, Delineators, Pedestrian railings, Crash barrier, Studs / Cat's eye इत्यादि का प्रावधान सुनिश्चित किया जाय ताकि दुर्घटनाओं में कमी आये,

iii. सभी एजेंसी भविष्य में किसी भी नये पथ का निर्माण बिना रोड सेफ्टी ऑडिट के नहीं करें एवं सड़क सुरक्षा के सभी मानकों को प्राक्कलन में अनिवार्य रूप से शामिल करें,

iv. सड़कों के किनारे कार्यरत संस्थानों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में व्यापक जागृति हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाय।

2. **मध्यम कालिकः–**

i. सभी पथ निर्माण एजेंसी अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी पथों पर महत्वपूर्ण/आवश्यक जगह जैसे, विद्यालय, अस्पताल, बाजार, बसावट एवं जंक्शन आदि स्थलों पर सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से Indian Road Congress के मानकों के अनुरूप Traffic Calming Measures यथा, road signages, speed breaker, speed humps, speed table, rumble strips, informatory sign, stop sign, zebra crossing, pedestrian refuge islands, lane narrowing इत्यादि का प्रावधान आवश्यकतानुसार करना सुनिश्चित करें ताकि दुर्घटनाएँ कम हो,